

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— कमर चौधरी

आई0ए0एस0

निगरानी सं0 08/2017(ग्रा.पं.)

1. कमलेश पुत्र घासी
2. ओमप्रकाश पुत्र कालूराम
3. लक्ष्मण पुत्र जगन्नाथ
4. सत्यनारायण पुत्र प्रभूदयाल
5. ओमप्रकाश पुत्र प्रभातीलाल
6. रामकरण पुत्र कन्हैयालाल
7. रामगोपाल पुत्र रामेश्वर
8. घासीलाल पुत्र मूलचन्द
9. मोहनलाल पुत्र प्रभूदयाल



समस्त जाति हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दादनका तहसील दौसा जिला दौसा
.... प्रार्थीगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र चिरंजीलाल कौम हरियाणा ब्राहमण निवासी ग्राम दादनका तहसील व जिला दौसा
2. ग्राम पंचायत काबलेश्वर जरिये सचिव, ग्राम पंचायत काबलेश्वर तहसील व जिला दौसा

...अप्रार्थीगण

निगरानी विरुद्ध संकल्प संख्या 8 एवं पट्टा संख्या 46 मिसल संख्या 280 दिनांक 15.2.2011 द्वारा ग्राम पंचायत काबलेश्वर तहसील व जिला दौसा

- उपस्थित: 1. श्री ऋद्धि चन्द शर्मा, अधिवक्ता निगरानीकार
2. श्री विनोद विजय, अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 01

निर्णय

दिनांक 23.12.2022

संक्षिप्त विवरण निगरानी अन्तर्गत धारा-158 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत, काबलेश्वर पंचायत समिति दौसा द्वारा अप्रार्थी सं0 एक के पक्ष में पट्टा दिनांक 15.2.2011 को जारी कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर निगरानीकार ने यह निगरानी पेश की गई है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत काबलेश्वर से मूल पट्टा पत्रावली व राजस्व शाखा, कलेक्टर दौसा से आबादी हेतु सैट अपार्ट करने का मूल अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकार ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में दलील दी है कि खसरा नंबर 284 रकबा 17.7 है। गै.मु. चरागाह वाके ग्राम दादनका तहसील दौसा में से आबादी विस्तार हेतु 0.25 है। को ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर दौसा के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर उक्त भूमि को जिला कलेक्टर द्वारा आदेश दिनांक 11.9.2006 द्वारा आबादी विस्तार हेतु चरागाह से खारिज कर भूमि को आबादी में परिवर्तित कर दी गई, जिस पर आम जनता दादनका द्वारा ग्राम पंचायत

....निरन्तर 2 पर

जिला कलेक्टर, दौसा

काबलेश्वर की ग्राम सभा की बैठक दिनांक 20.8.2007 में ग्राम पंचायत को अवगत कराया कि खसरा नंबर 284 में से रकबा 0.25 है। भूमि आबादी में परिवर्तित की गई है, उसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है। उक्त ग्राम पंचायत की आपत्ति के बाद ग्राम सभा की बैठक में प्रस्ताव संख्या 27 सर्वसम्मति से इस प्रकार पारित किया कि ग्राम सभा में बाद विचार विमर्श कर बताया गया कि वाद न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि में पट्टे जारी नहीं किये जावेगे। न्यायालय का निर्णय सर्वमान्य होगा। इसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है। दिनांक 20.8.2007 को उक्त प्रस्ताव ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर उक्त विवादित भूमि में किसी भी प्रकार के किसी को भी पट्टे जारी नहीं करने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर लेने के पश्चात भी ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये व बिना किसी प्रकार का आपत्ति नोटिस जारी किये पट्टा संख्या 46 जारी कर दिया। उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैप दौसा में अपील संख्या 84/2007 में निर्णय दिनांक 26.4.2012 को पारित कर खसरा नंबर 284 रकबा 17.07 है। भूमि जो आबादी के लिए सैट अपार्ट की गई थी, उक्त आदेश को निरस्त कर दिया गया जिसकी सूचना ग्राम पंचायत को भी कई बार निगरानीकर्तागण द्वारा दे दी गई है। ग्राम पंचायत काबलेश्वर एवं तहसीलदार दोनों ही उक्त प्रकरण में पक्षकार भी थे, इसलिए उन्हें अपील के निर्णय दिनांक 26.4.2012 की पूर्णतया जानकारी थी। उसके पश्चात भी ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा पट्टा जैर अपील निरस्त नहीं किया गया। ग्राम पंचायत काबलेश्वर का संकल्प सं. 8 एवं पट्टा संख्या 46 जारी करने का आदेश विधि, प्रक्रिया एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। ग्राम दादनका की विवादित भूमि को अपीलीय न्यायालय में चुनौती दिये जाने की जानकारी एवं न्यायालय के निर्णय होने तक पट्टा जारी करने का प्रस्ताव ग्राम पंचायत द्वारा ग्राम सभा में सर्वसम्मति से पारित किये जाने के उपरांत व न्यायालय के निर्णय के बिना ही उक्त विवादित भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया गया है। जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 1.9.2006 के द्वारा आबादी में सैट अपार्ट की गई भूमि में यह नहीं माना जा सकता है कि भूमि पर पट्टा प्राप्तकर्ता का पूर्व से या बुजुर्गान के समय से पुराना कब्जा चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत को जहाँ नई कॉलोनी बसाई जा रही है व भूमि बिल्कुल खाली हो एवं डामर सड़क से लगती हुई बेशकीमती भूमि हो एवं व्यावसायिक महत्व की भूमि हो, ऐसी भूमि को नीलामी के जरिये ही विक्रय किया जा सकता है अथवा पट्टे पर आवंटित किया जा सकता है। परन्तु ग्राम पंचायत काबलेश्वर ने कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये एक ही दिन में समस्त फर्जी कार्यवाहियां करके गैर निगरानीकार सं० 1 से साज कर उसे पट्टा जारी करने एवं पट्टा जारी करने का संकल्प लिये जाने का अंकन ग्राम पंचायत के रिकार्ड में फर्जी तरीके से कर पट्टा जारी किया गया है। पट्टा सं० 46 में जो हदूदर्बा व नक्शा दिया गया है वह गै.मु. चरागाह खसरा नंबर 284 का भाग है तथा खसरा नंबर 284 में से जो भूमि आबादी में सैट अपार्ट की गई है, उस सैट अपार्ट आदेश को निरस्त कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में भूमि जो आबादी हेतु सैट अपार्ट की गई थी, वह पुनः चरागाह में परिवर्तित हो गई है। इस प्रकार उक्त खसरा नंबर 284 में से आज दिन तक कोई भूमि आबादी भूमि नहीं रही है जिससे ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा जारी पट्टा संख्या 46 संकल्प सं. 8 स्वतः ही निरस्त एवं प्रभावशून्य हो जाते हैं। परन्तु ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा आज दिन तक उन पट्टों को निरस्त करने हेतु या शून्य घोषित करने हेतु कोई कार्यवाही नहीं की गई है। ग्राम पंचायत

....निरन्तर 3 पर

काबलेश्वर द्वारा उक्त जारी पट्टा संख्या 46 को देखने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पट्टे के पैराग्राफ सं. 5 में दर्ज की गई रियायती राशि कितने रू० प्रति वर्गगज की दर से कितनी राशि जमा हुई एवं उक्त राशि किस रसीद के जरिये जमा करवाई गई जिसके फलस्वरूप यह पट्टा जारी किया गया है। ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा एक ही परिवार के सदस्यों को जिनमें गैर निगरानीकार मुकेश तथा गैर निगरानीकार के भाई खैराती पुत्र चिरंजीलाल को पट्टा सं. 45 व 46 रियायती दर पर जारी किये गये हैं। इस प्रकार ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा निजी स्वार्थवश एक ही व्यक्ति को फायदा पहुँचाने की गरज से चरागाह की बेशकीमती डामर रोड के लगती हुई भूमि का फर्जी तरीके से पट्टा जारी कर दिया। अधिवक्ता निगरानीकार ने दौराने बहस अवगत कराया कि उक्त भूमि से संबंधित याचिका संख्या 16484/2017 उनवानी आम जनता बनाम राजस्व मंडल एवं अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में विचाराधीन है। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा पारित संकल्प संख्या 08 व उक्त संकल्प के तहत अप्रार्थी संख्या 01 के नाम जारी पट्टा संख्या 46 व मिसल संख्या 280 दिनांक 5.2.2011 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या 01 की बहस में दलील है कि जिला कलक्टर महोदय, दौसा द्वारा राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 यथासंशोधित के अनुसरण में ग्राम दादनका तहसील दौसा स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 284 रकबा 15.81 है. में से 0.25 है. भूमि को चरागाह से कम कर दिनांक 11.9.2006 को आबादी विस्तार हेतु सैट अपार्ट की गई थी। आम जनता दादनका की ओर से जिला कलक्टर दौसा के उक्त आदेश दिनांक 11.9.2006 को माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा द्वारा निर्णय दिनांक 26.4.2012 के द्वारा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.9.2006 को निरस्त कर दिया गया। गैर निगरानीकार की ओर से माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 26.4.2012 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 16.8.2017 के द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 26.4.2012 को निरस्त किया जाकर जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 11.9.2006 को बहाल रखा गया। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.8.2017 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में चुनौती दी गई, जो विचाराधीन है। गैर निगरानीकार सं० 01 की ओर से एक दीवानी दावा संख्या 17/2012 वाद स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम न्यायालय दौसा में पेश किया गया था जिसमें माननीय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय दौसा द्वारा दिनांक 18.4.2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा आबादी भूमि व उसमें बने हुए निर्माण के कब्जे वादीगण में किसी प्रकार की दखल पहुँचाने एवं उक्त भूमि व उसमें बने हुए मकानात से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करने बाबत पाबंद किया गया है। अधिवक्ता गैर निगरानीकार ने यह भी दलील दी कि ग्राम पंचायत काबलेश्वर द्वारा जारी पट्टे की निगरानी का श्रवणाधिकार/क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय श्रीमान को नहीं है। उक्त पट्टे की निगरानी पंचायत समिति में प्रस्तुत की जानी चाहिए थी। निगरानीकारान क्लीन हैंड से माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुए हैं। अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावे। ..

अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ग्राम पंचायत, काबलेश्वर पंचायत समिति दौसा द्वारा संकल्प संख्या 8 की पालना में अप्रार्थी सं. 1 के पक्ष में पट्टा संख्या 46 दिनांक 5.2.2011 को जारी किया गया है। जिला कलक्टर, दौसा ने राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 7 यथासंशोधित के अनुसरण में ग्राम दादनका तहसील दौसा स्थित चरागाह भूमि खसरा नंबर 284 रकबा 15.81 है. में से 0.25 है. भूमि को चरागाह से कम कर दिनांक 11.9.2006 को आबादी विस्तार हेतु सैट अपार्ट की गई थी। जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.9.2006 को आम जनता दादनका की ओर से माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 26.4.2012 के द्वारा जिला कलक्टर दौसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.9.2006 को निरस्त कर दिया गया। गैर निगरानीकार की ओर से माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 26.4.2012 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में चुनौती दी गई। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा निर्णय दिनांक 16.8.2017 के द्वारा माननीय न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी जयपुर कैंप दौसा के निर्णय दिनांक 26.4.2012 को निरस्त किया जाकर जिला कलक्टर दौसा के आदेश दिनांक 11.9.2006 को बहाल रखा गया। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.8.2017 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में चुनौती दी गई, जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। गैर निगरानीकार सं०1 की ओर से एक दीवानी दावा संख्या 17/2012 वाद स्थाई निषेधाज्ञा का ग्राम न्यायालय दौसा में पेश किया गया था जिसमें माननीय न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय दौसा द्वारा दिनांक 18.4.2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा आबादी भूमि व उसमें बने हुए निर्माण के कब्जे वादीगण में किसी प्रकार की दखल पहुँचाने एवं उक्त भूमि व उसमें बने हुए मकानात से वादीगण को जबरन बेदखल नहीं करने बाबत पाबंद किया गया है। साथ ही उक्त भूमि से संबंधित याचिका संख्या 16484/2017 उनवानी आम जनता बनाम राजस्व मंडल एवं अन्य माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ में विचाराधीन है। उक्त याचिका में जो भी कोई हक अधिकार हैं, वे माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय से तय होने हैं। निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। प्रभारी अधिकारी राजस्व शाखा कलैक्ट्रेट दौसा व ग्राम पंचायत काबलेश्वर पंचायत समिति दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो ।

(कमर चौधरी)

जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 23 दिसंबर, 2022 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमर चौधरी)

जिला कलक्टर, दौसा

